कार्यालय – न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कोरबा, जिला–कोरबा (छ0ग0)

–:– विज्ञापन –:–

क्रमांक 131 /दो–11–01/2024 कोरबा, दिनांक 22–7–2026

कुटुम्ब न्यायालय स्थापना कोरबा अंतर्गत कैंप कोर्ट कटघोरा के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड-3 (साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक एवं सेल अमीन) एवं आदेशिका वाहक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से इस विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 12 अगस्त 2026 को शाम 05.00 बजे तक **डाक के माध्यम से** आमंत्रित किये जाते हैं .

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित पद				आरक्षित पद											
							अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
			मुक्त	महिला	दि० यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दि० यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दि० यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दि० यांग	भूतपूर्व सैनिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	शीघ्रलेखक (हन्दी)शीघ्रलेखक ग्रेड–III)	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	सहायक ग्रेड–3 संवर्ग (साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक एवं सेल अमीन)	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	आदेशिका वाहक	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	5	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

नोट-

1. आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की पदों की संख्या में परिवर्तन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से प्राप्त किसी आदेश के अध्याधीन होगा।

2. विज्ञापन में कोई भी Corrigendum जारी करना या चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन इत्यादि करने का अधिकार भर्ती समिति को होगा, जो कि अंतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।

—:— भर्ती की पात्रता एवं शर्तें —:—

क0	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक / तकनीकी आपेक्षित आर्हतायें / अनुभव आदि
1.	**शीघ्रलेखक (हिन्दी)** (शीघ्रलेखक ग्रेड–III)	**28700–91300 लेवल–7**	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण।
			2. मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।
			3. कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन का ज्ञान होना चाहिए।
			4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना चाहिए।
			5. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ (बोली) / स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।
नोट– हिन्दी शीघ्रलेखन (Shorthand) परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें।			
2.	**सहायक ग्रेड–3 संवर्ग** (साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक एवं सेल अमीन)	**19500–62000 लेवल–4**	1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा
			2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा
			3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।
			4. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ (बोली) / स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।
3.	**आदेशिका वाहक**	**18000–56900 लेवल–3**	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण हो।
			2. स्वस्थ होना चाहिए।
			3. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली) / स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

<u>सीधी भर्ती हेतु पात्रता:-</u>

चयन हेतु पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होगा, अर्थात्;

(1) वह भारत का नागरिक हो;

(2) आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें:–

(1) आयु सीमा :– प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01 जनवरी 2023 को, 18 वर्श से कम तथा 35 वर्श से अधिक न हो। छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर का ज्ञापन कमांक एफ–3–2/2015/1–3, नया रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट कलेण्डर वर्ष 01.01.2019 से 31.12.2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर) महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आयु संबंधी प्रमाण के लिए अभ्यर्थी के हाई स्कूल (Matric) अंक सूची (Marksheet) में अंकित जन्मतिथि (Date of Birth) ही मान्य होगी, अन्य किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) उच्चतम आयु सीमा में छूट :– निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

3 (एक)(1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

3 (एक)(2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–25–93/1 आ.प.दिनांक 20/01/1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

3(एक)(3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जावेगी। यही आयु की छूट परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3 (एक)(4)– ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 (सात) वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नही होगी।

स्पष्टीकरणः– छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है कि जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या 'सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

3 (एक)(5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3 (एक)(6)– छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्भियों के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3 (एक)(7)– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचितजाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3 (एक)(8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दषा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3 (एक)(9)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकषुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3 (दो) (1)– आदिम जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रषासन विभाग के ज्ञापन कमांक–सी. 3/10/85/3/1 दिनांक 28/06/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। (इस हेतु सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)

3 (दो)(2)– विकम पुरूस्कार सहित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद्रभंज देव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक–एफ–19–2/2005/1–3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3 (दो)(3)– उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक– एफ–06–10/2004/1–9 दिनांक 06/07/10 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :–

(1) बिंदु कमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिंदु कमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु कमांक 3 (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी ।

उपरोक्त 2 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

(ग) जिसे किसी भी शासकीय सेवा में भविष्य में नियोजन हेतु अयोग्य मानते हुए भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन अथवा उच्च न्यायालय के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है;

अथवा

(घ) जिसे संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी उच्च न्यायालय द्वारा उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने से विवर्जित अथवा निरर्हित किया गया हो;

अथवा

(ड) जो नैतिक अधमता समाहित किसी अपराध में दोषसिद्घ ठहराया जा चुका हो ।

13. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित/वैध होना अनिवार्य है।

14. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. कोई भी अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोश ठहराया गया हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

16. अभ्यर्थी को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्हय होगी।

<u>पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन व दावा/आपत्ति उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन</u>

प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाइट www.ecourts.gov.in/korba तथा सूचना पटल पर चस्पा कर किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबध में यदि कोई दावा/आपत्ति हो तो अभ्यर्थी सूची प्रकाशन/चस्पा किये जाने की तिथि से सात दिवस के भीतर चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेश कर सकेंगे। दावा/आपत्ति के निराकरण

पश्चात् वेवसाईड पर अंतिम पात्र सूची प्रकाशित की जायेगी।

विज्ञाप्ति पदों हेतु चयन की प्रक्रियाः–

पदवार, आवेदनों की संख्या अधिक होने पर, विज्ञाप्ति पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की प्रवीण्यता (मेरिट) के आधार पर 01 (एक) पद पर 10 (दस) के अनुपात में वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा (Skill Test) हेतु बुलाया जायेगा।

समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को कौशल परीक्षा (Skill Test) हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।

जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसे कौशल परीक्षा (Skill Test) हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।

1. स्टेनोग्राफर हिन्दी पद हेतु :–

कौशल परीक्षा (Skill Test) – (कुल अंक 500, समय–सीमा 45 मिनट) अभ्यर्थी को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख (डिक्टेशन) दिया जाएगा, जिसे कौशल परीक्षा के कुल निर्धारित समय 45 मिनट में से शेष 40 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में उबन्टू लाईनेक्स सिस्टम के लिब्रे ऑफिस एवं Unicode Font (Mangal etc.) में टाईप करना होगा। प्रत्येक छोड़े गये शब्द एवं अशुद्धि/त्रुटि के लिए 01 (एक) अंक काटा जायेगा।

2. सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु :–

कौशल परीक्षा (Skill Test) – (कुल अंक 250, समय–सीमा 10 मिनट) अभ्यर्थी को 250 शब्दों के गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट में शुद्धता से कम्प्यूटर में उबन्टू लाईनेक्स सिस्टम के लिब्रे ऑफिस एवं Unicode Font (Mangal etc.) में टाईप करना होगा। प्रत्येक

छोड़े गये शब्द एवं अशुद्धि/त्रुटि के लिए 01 (एक) अंक काटा जायेगा।

नोट :– सेटिंग (यथा हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, अंडरलाईन आदि) को भी अशुद्धि/त्रुटि माना जायेगा।

टीप :– 1/– स्टेनोग्राफर (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु आयोजित कौशल परीक्षा में एक अभ्यर्थी के एक से अधिक पदों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिये आयोजित कौशल परीक्षा में शामिल होना होगा।

2/– वर्गवार मेरिट सूची :– कौशल परीक्षा (Skill Test) में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार अंतिम चयन सूची तैयार कर कार्यालय की वेबसाईड पर अपलोड की जायेगी एवं कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।

वर्गवार प्रतीक्षा सूची :– कौशल परीक्षा (Skill Test) में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञाप्ति पदों की संख्या के बराबर ही वर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी, जो अधिकतम 01 वर्ष के लिए वैध/प्रभावशील होगी।

3/– समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को चयनित किया जायेगा।

4/– जन्मतिथि भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसे चयनित किया जायेगा।

3. आदेशिका वाहक के पद हेतुः–

पात्र पाये जाने पर कौशल परीक्षा सह् साक्षात्कार हेतु अवसर दिया जायेगा तथा उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर चयन एवं प्रतिक्षा सूची तैयार की जायेगी।

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. चयनित अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
2. आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जायेगा।

3. चयनित अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, का कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा। आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में उनके नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

4. यह विज्ञापन, किसी कारण बताये बिना, किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।

5. जो अभ्यर्थी, चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर न केवल निरस्त की जाएगी अपितु वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

6. अभ्यर्थी जिला न्यायालय की वेबसाइट www.ecourts.gov.in/korba से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जायेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाप्रति कॉलम में नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र आदि की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवें, अन्यथा की दशा में कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।

7. कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को पूर्वोक्तानुसार स्वयं भरकर कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होगा, विलंब से उपस्थित होने पर कौशल परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

8. चयन प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की

जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 03 माह तक ही जानकारी प्रदान की जायेगी।

9 महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त योग्यता तथा शर्तों को पूरा करता है। आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने की दशा में उसका आवेदन पत्र निरस्त कर, उसकी उम्मीद्वारी समाप्त कर दी जावेगी। किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई सारवान् जानकारी छुपाना पाये जाने पर उसकी नियुक्ति पश्चात् भी सेवा समाप्त की जा सकती है तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

22/7/26

अध्यक्ष
(गरिमा शर्मा)
प्रशासनिक समिति
कोरबा छ.ग.

आवेदन पत्र का प्रारूप

(स्टेनोग्राफर (हिन्दी), सहायक ग्रेड–तीन एवं आदेशिका वाहक के पद हेतु)

प्रति,

श्रीमान् न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय कोरबा (छ0ग0)

अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित यहां चस्पा करें।

1. आवेदित पद का नाम

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में)

4. लिंग– पुरूष / महिला / तृतीय लिंग वर्ग

5. (अ) पिता / पति का नाम

(ब) माता का नाम

6. (अ) पत्र व्यवहार का पता

(ब) स्थाई पता (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो, तो ''तदैव'' लिखें)

7. (अ) जन्म तिथि अंकों में

(ब) जन्म तिथि शब्दों में

(स) दिनांक 01.01.2026 को आयु

वर्ष	माह	दिन

8. अभ्यर्थी आयु में छूट का कोई दावा करता है :– हां/नहीं (यदि हां तो कौन सा दस्तावेज संलग्न कर रहा हैं।)

9. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है? हां/नहीं :– (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

10. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं :– (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें

12. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

13. क्या आप विवाहित हैं ? हां/नहीं

14. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:—

क्र0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्श	बोर्ड वि0वि0 का नाम	विशय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

15. अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

क्र0	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	पदस्थ अवधि

16. क्या अभ्यर्थी शासकीय / अर्धषासकीय संस्था में सेवारत है? हां / नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

17. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है या नहीं ? यदि हुआ है तो वर्तमान स्थिति ....

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः–
(दस्तावेज स्वप्रमाणित होना चाहिए)

1.. 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....
7. .... 8. ....
9. .... 10. ....

घोषणा–पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सहीं है एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। उपरोक्त दी गई कोई भी जानकारी अथवा सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर आवेदित पद के लिए मेरी उम्मीद्वारी रद्द या निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक -----------   अभ्यर्थी का हस्ताक्षर---------------

स्थान----------   नाम-----------------------

पता-----------------------

कार्यालयः– न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोरबा (छत्तीसगढ)

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय व्दारा जारी विज्ञापन क्रमांक 131 दिनांक 22.7.2026 अंकित ''**अन्य शर्ते**'' की कंडिका 3 एवं कंडिका 16 के निचे '' **पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन व दावा/आपत्ति उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन** '' के निचे अंकित वेबसाइड www.ecourt.gov.in/korba के स्थान पर korba.dcourts.gov.in पढ़ा जावे।

22/7/26

अध्यक्ष
भर्ती समिति
कुटुम्ब न्यायालय कोरबा